न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

उपस्थित–एस0ए0एच0रिजवी, .एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या–7000139/2012

सरकार बनाम धर्मेन्द्र सिंह.....................अभियुक्त

मु0अ0सं0–168/2011
धारा–325,323,504 भा0द0सं0
व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–गोसाईगंज, लखनऊ।

निर्णय

1. अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 325,323,504 भा0दं0सं0 में पुलिस थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ के द्वारा यह आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण को दिनांक 31/01/2012 को अपर मुख्य न्यायिक मैजि0,कोर्ट नं0–26, लखनऊ ने सत्र सुपुर्द किया है।

2. अभियोजन केस इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुखलाल पासी ने एक लिखित तहरीर थाने पर इस आशय से दिया कि दिनांक 21/03/2011 को समय लगभग 11.00 बजे दिन में धर्मेन्द्र सिंह पुत्र अज्ञात नाती बाबू सिंह उम्र 25 वर्ष व कृष्ण कुमार पुत्र बाबू सिंह उम्र 45 वर्ष निवासीगण ग्राम नेवलखेड़ा मजरा सिठौली कलां थाना गोसाइगंज ने वादी को गंदी–गंदी गालियां दी और लाठी–डंडो से मारापीटा जिससे वादी को चोटे आयीं।'' वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अ0सं0 168/2011 धारा 323,504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मामला अभियुक्गण धर्मेन्द्र सिंह,बाबू सिंह व कृष्ण कुमार सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। मजरूव का डाक्टरी परीक्षण कराया गया और विवेचनाधिकारी ने विवेचनापूर्ण करके आरोप–पत्र केवल अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रेषित किया।

3. अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 323,325,504 भ0दं0सं0 व धारा 3(1) 10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आरोप लगाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

4. मौखिक साक्ष्य में अभियोजन की तरफ से पी0डब्लू0–1 सुखलाल वादी मुकदमा,पी0डब्लू–2 रामचन्द्र,पी0डब्लू–3 रामदीन पी0डब्लू–4 सत्येन्द्र एवं पी0डब्लू–5 श्रीमती कल्लो को पेश किया गया। पी0डब्लू–1 सुखलाल द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से शेष अभियोजन प्रपत्र चिक प्रदर्श क–2, नकल जी0डी0 कायमी की कार्बन प्रति प्रदर्श क–3, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–5,नक्शा नजरी प्रदर्श क 6, तथा आरोप–पत्र प्रदर्श क 7 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया है।

5. धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को अस्वीकार करते हुए रंजिश के कारण मुकदमा चलना कहा है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

7. विचारण के दौरान पक्षकारो ने एक संधि–पत्र प्रस्तुत किया। उसे सत्यापित कर स्वीकार किया गया। संधि–पत्र के आधार पर धारा 323,325,504 भादंसं0 के आरोप का शमन हो रहा है। केवल धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप शेष रह जाता हैं।

8. इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क–4 के अनुसार मजरूब सुख लाल की चोटों का डाक्टरी परीक्षण दिनांक 30/03/2011 को समय 1.20 बजे दिन में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र,गोसाईगंज,लखनऊ मे किया गया था। जिसके अनुसार मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे पायी गईः–

1. नीलगू सूजन 10 सेमी x 7 सेमी बांये अग्रभुजा पर। एक्सरे की सलाह दी गई। डाक्टर की राय मे चोट किसी सख्त कुंदआले से आयी थी जो 7 से 10 दिन पुरानी थी।

9. पी0डब्लू0 1 सुख लाल प्र0सू0रि0 के अनुसार घटना का मजरुव व चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि ''दूसरा साल चल रहा है। होली के भोर पहर की घटना है। सबेरे 10–11 बजे का वक्त था। मैं घर पर बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर बैठा था तभी किशन कुमार जो मेरे गांव के रहने

वाले है तथा इनके रिश्तेदार धर्मेन्द्र अपने हाथ मे डंडा लिए हुए आ गये और आते ही मेरे साथ मारपीट शुरु कर दी। कोई गाली गुप्तारी नहीं की। मेरे शोरगुल पर मंशाराम,चन्दर और कई लोग आ गये तब ये लोग मारपीट करना छोड़कर भाग गये। मारपीट से मेरे सिर पर पीठ पर व दाहिने हाथ की कलाई व टांगो पर चोट आई थीं। घटना के बाद मेरा लड़का मुनेश्वर मुझे ठेलिया पर लादकर थाने ले गया। लेकिन पुलिस वालो ने रिपोर्ट नहीं लिखा और कहा जाओ जांच करेगे। इस तरह मुझे करीब 8–10 दिन तक दौड़ाते रहे तब जाकर मेरी रिपोर्ट दर्ज की। थाने पर मैने एक प्रार्थना पत्र एक आदमी से बोलकर लिखवाकर सुनने के बाद अगूँठा निशानी लगाकर थाने पर दिया था जिसपर मुकदमा दर्ज किया गया। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 के रुप मे साबित किया है।''

10. पी0डब्लू–2 राम चन्द्र घटना के प्रत्यक्षदर्शी साची है,ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि''आज से लगभग 02 वर्ष पहले फाल्गुन के महीने मे मैने हाजिर अदालत धर्मेन्द्र सिंह को गांव के सुखलाल के साथ मारपीट,गाली गलौज करते नही सुना था न ही मुझे ऐसी कोई घटना की जानकारी है।'' इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कराकर प्रतिपृच्छा की गयी है। प्रतिपृच्छा में साक्षी ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो को अस्वीकार किया तथा घटना देखने के सम्बंध में अभियोजन सुझावो का खण्डन किया है।

11. पी0डब्लू–3 रामदीन जोकि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है,ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''सुखलाल जो इस मुकदमे के वादी है वह मेरे बड़े दादा के लड़के है व मेरे भाई है। आज से 02 साल पहले होली के दिन 11.00 बजे दिन मे मेरे सामने अभियुक्त हाजिर अदालत धर्मेन्द्र ने मारपीट कर सुखलाल को चोटे नहीं पहुँचायी थीं। मेरे सामने धर्मेन्द्र सिंह ने कोई जाति सूचक गालियां नहीं दी थीं। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थीं। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित कराकर प्रतिपृच्छा की गई। प्रतिपृच्छा में साक्षी ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो को अस्वीकार किया है तथा घटना घटना देखने के सम्बंध मे अभियोजन सुझावो का खण्डन किया है। इस साक्षी की प्रतिपृच्छा में यह बयान भी दिया हे कि सुखलाल होली के दिन शराब पिये हुए थे। दूसरे दिन भी पीये हुए थे और ज्यादा नशे में होने के कारण चबूतरे से गिर गये थे जिससे उनके हाथ की कलाई टूट गई थीं।

12. पी0डब्लू–4 सत्येन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि '' आज से लगभग 02 वर्ष पहले फाल्गुन महीने मे मैने हाजिर अदालत मुलजिम धर्मेन्द्र सिंह को सुखलाल के साथ मारपीट,गाली गलौज करते नहीं देखा था न ही मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी है। अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर प्रतिपृच्छा की है। साक्षी की प्रतिपृच्छा में यह कथन है कि होली के 10–15 दिन पहले कृष्ण कुमार सिंह से सुख लाल की कहासुनी बाउण्ड्री वाल उठाने के बाबत हुई थी। कहासुनी के समय वह मौजूद था उसके बाद कोई मारपीट हुई हो तो उसके बारेम` कुछ नहीं बता सकता। साक्षी ने अपने धारा 161 द0प्र0सं0 के बयानो को अस्वीकार किया है। इस साक्षी की प्रतिपृच्छा में यह बयान है कि सुख लाल होली के दिन और उसके दूसरे दिन शराब पिये हुए थे और चबूतरे से नीचे गिर गये थे जिससे उनका हाथ टूट गया था।

13. पी0डब्लू–5 श्रीमती कल्लो ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''आज से लगभग 02 साल पहले फागुन महीने मे मैने हाजिर अदालत धर्मेन्द्र सिंह को सुखलाल के साथ मारपीट व गाली–गलोज करते नहीं देखा था न ही मुझे ऐसी किसी घटना की सूचना है।'' अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर प्रतिपृच्छा की। साक्षी की प्रतिपृच्छा मे यह कथन हेिंक सुखलाल उसके परिवार के जेठ लगते है। कृष्ण कुमार सिंह का सुख लाल से बाउण्ड्री वाल उठाने का विवाद हुआ था लेकिन मारपीट होने की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने धारा 161 द0प्र0सं0 के बयानो को अस्वीकार किया है। इस साक्षी ने प्रतिपृच्छा मे यह बयान दिये है कि सुखलाल ने होली के दिन च दूसरे दिन शराब पी थी और उनका चबूतरा ऊॅचा है और चबूतरे से गिर जाने के कारण उनका हाथ टूट गया था। कोई मारपीट नहीं हुई थी। उपरोक्त साक्षीगण की प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई कथन नहीं है जिससे अभियोजन केस का किसी रुप में समर्थन हो।

14. पी0डब्लू–1 वादी सुखलाल की मुख्य परीक्षा के बयानो मे भी गाली गलौज किए जाने का कोई कथन नहीं है। उसने स्वंय यह कहा है कि गाली–गुप्ता नहीं दी थी और जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने का कोई कथन साक्षी के बयान मे नहीं है और पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हे जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण ने वादी सुख लाल को जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया हो अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण उसके साथ कोई घटना कारित की हो। अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता हे कि

अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध अभियोजन धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आरोप सिद्ध नहीं कर सका है और अभियुक्त धारा 323,325,504 भा0दं0सं0 का आरोप संधि पत्र के आधार पर और धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप से गुण–दोष के आधार पर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह को धारा 323,325,504 भा0दं0सं0 धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभू गण को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा–437 ए द0प्र0सं0 के अनुपालन में **बीस हजार रूपये की एक नई जमानत** तथा इसी धनराशि का निजी बंधपत्र 10 दिन में दाखिल करे।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

दिनांकः12/10/2015

निर्णय एवं आदेश आज मेरें द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

दिनांकः12/10/2015

अ0ज0
12.10.15